

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

गार्गी पुरस्कार/बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदन पत्रों को भरने में आ रही समस्याओं के निवारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

- (1) जिन बालिकाओं का स्कूल सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है। फार्म भरते समय उसे कोई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
- (2) जिन बालिकाओं की अंकतालिका शो नहीं हो रही है। उन्हें फार्म भरते समय कोई अंकतालिका अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
- (3) जिनका नाम लिस्ट में शो नहीं हो रहा है तो वह बालिका " STUDENT NAME NOT EXISTS" वह " OPTION SELECT करे और यह ऑप्शन लिस्ट के अंत में SHOW होगा। इसके सलेक्ट करने के बाद उसमें TEXT BOOK OPEN होगा। वहां पर बालिका अपना नाम लिख सकती है।
- (4) जिन बालिकाओं के स्कूल शो नहीं हो रहे हैं उस स्कूल को RTE PORTAL पर रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर करवाने का कार्य विद्यालय द्वारा करवाया जाना है।
- (5) BANK PASSBOOK अच्छे से स्केन कर अपलोड करे।
- (6) बैंक खाता बालिका के नाम से ही होना अनिवार्य है अन्यथा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
- (7) जिन बालिकाओं का आवेदन पत्र , ACCOUNT NO/SCHOOL आदि गलत भरे जाने के कारण जिसके कारण आवेदन पत्र APPROVED नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में आवेदन की स्थिति / UPDATE पर जाकर UPDATE कर सकते हैं।
- (8) आवेदन पत्र के अंत में यदि PENDING आ रहा है तो CBEO द्वारा वैरीफाई(जांच) करने के बाद PENDING हटकर उसके स्थान पर APPROVED/REJECT हो जायेगा।
- (9) बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार (कक्षा-12) के लिए नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।